भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2975
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए नोडल एजेंसियां
2975. श्री भरत सिंह कुशवाह:
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) केन्द्र सरकार द्वारा कृषि उत्पादों और श्री अन्न की खरीद-बिक्री में शामिल नोडल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार में इन एजेंसियों की एजेंसीवार हिस्सेदारी कितनी है;
(ख) नोडल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है तथा नोडल एजेंसियां कितने वर्षों से कार्य कर रही हैं, संख्या/नाम और वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) नोडल एजेंसियों के पास कृषि उत्पादों की भण्डारण क्षमता कितनी है;
(घ) निजी और सरकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;
(ङ) इस हेतु प्रयुक्त सरकारी भांडागारों सहित भण्डारणगृहों का नामवार ब्यौरा क्या है;
(च) क्या नोडल एजेंसियों की सतत और नियंत्रित निगरानी के लिए राज्य स्तर पर कोई गैर-सरकारी समिति है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.) : सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज (बाजरा या श्री अन्न) और मोटे अनाज विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई के परामर्श से स्वयं खरीदे जाते हैं, ताकि संबंधित राज्य सरकारें उन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरण के लिए उपयोग कर सकें। मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद की जाती है। यह प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना का एक घटक है। यह खरीद, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से उनकी राज्य स्तरीय एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, कपास और जूट की खरीद सरकार द्वारा एमएसपी पर क्रमशः केंद्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) के माध्यम से की जाती है।

एफसीआई एक वैधानिक निकाय है और एनसीसीएफ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक बहुराज्यीय राज्य सहकारी संस्था है। सीसीआई और जेसीआई कपड़ा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। नेफेड एमएससीएस अधिनियम के तहत पंजीकृत एक बहुराज्यीय राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) है।

(ग) से (ङ) : एमएसपी खरीद कार्य तब किया जाता है जब अधिसूचित वस्तुओं की बाजार की कीमतें एमएसपी कीमतों से कम हो जाती हैं। केंद्रीय नोडल एजेंसियां, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके, केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूसी), एफसीआई के स्वामित्व वाले

और सहकारी गोदामों को, जब भी स्थिति की मांग हो, पर्याप्त भंडारण क्षमता बनाने के लिए नियुक्त करती हैं। सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, एफसीआई और सहकारी समितियों द्वारा गोदामों/भंडारण स्थान की अनुपलब्धता की स्थिति में, स्टॉक को निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) गोदामों सहित अन्य गोदामों में संग्रहीत किया जा सकता है, जैसा कि केंद्रीय नोडल एजेंसियों के समन्वय में राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। विभिन्न गोदामों के साथ कृषि वस्तुओं के भंडारण की सुविधा का लाभ उठाने वाली नोडल एजेंसियां इस प्रकार हैं:-

नोडल एजेंसियां	भंडारण स्थान (एलएमटी में)						
	सीडब्ल्यूसी	एसडब्ल्यूसी	नोडल एजेंसी के स्वामित्व में है	सहकारी समितियां	राज्य सरकार	निजी	कुल
एफसीआई	28.72	89.19	146.18	-	3.91	98.27	367.37
सीसीआई	90 लाख गांठ	10 लाख गांठ	-	06 लाख गांठ		-	106 लाख गांठ
एनसीसीएफ	7.12	29.73	-	-		0.01	36.86
नेफेड	12.03	28.49	-	-		-	40.52

निजी और सरकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है

(च) एवं (छ) : केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर अधिसूचित कृषि उपज की खरीद कार्यों की निगरानी के लिए सरकार के पास केंद्रीय और राज्य स्तर पर अपना तंत्र है। इस प्रकार सरकार ने नोडल एजेंसियों के कामकाज की निगरानी के लिए कोई गैर-सरकारी समिति गठित नहीं की है।

अनुबंध – I

दिनांक 01.02.2025 तक एफसीआई और राज्य सरकार एजेंसियों के साथ केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आंकड़े एलएमटी में)

क्षेत्र	क्रम सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर) (कवर्ड और सीएपी)						कुल (स्वामित्व+ किराए पर)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण समितियों (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता			कुल योग		
			शामिल		सीएपी		कुल		शामिल और सीएपी	राज्य एजेंसियां			शामिल	सीएपी	शामिल और सीएपी
			स्वामित्व	किराये पर	स्वामित्व	किराये पर	शामिल	सीएपी		शामिल	सीएपी	कुल			
पूर्व	1	बिहार	3.45	8.03	0.00	0.00	**11.47**	0.00	**11.47**	10.13	0.00	10.13	21.60	0.00	**21.60**
	2	झारखंड	0.89	3.82	0.00	0.00	4.71	0.00	**4.71**	1.78	0	1.78	6.49	0.00	**6.49**
	3	उड़ीसा	3.65	2.82	0.00	0.00	6.47	0.00	**6.47**	6.12	0	6.12	12.59	0.00	**12.59**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	0.92	0.00	0.00	10.45	0.00	**10.45**	9.66	0	9.66	20.11	0.00	**20.11**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.11	0	0.11	0.23	0.00	**0.23**
कुल पूर्वी क्षेत्र			**17.63**	**15.58**	**0.00**	**0.00**	**33.21**	**0.00**	**33.21**	**27.80**	**0**	**27.80**	**61.01**	**0.00**	**61.01**
पूर्वोत्तर	6	असम	3.74	1.57	0.00	0.00	5.31	0.00	**5.31**	0.00	0	0.00	5.31	0.00	**5.31**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.01	0.00	0.00	0.42	0.00	**0.42**	0.00	0	0.00	0.42	0.00	**0.42**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.19	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.68	0	0.68	1.30	0.00	**1.30**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
कुल उत्तर पूर्व क्षेत्र			**6.16**	**2.17**	**0.00**	**0.00**	**8.33**	**0.00**	**8.33**	**1.17**	**0**	**1.17**	**9.50**	**0.00**	**9.50**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**

	14	**हरियाणा**	8.75	51.37	2.88	0.00	60.12	2.88	**63.00**	42.91	8.46	51.37	103.03	11.34	**114.37**
	15	**हिमाचल प्रदेश**	0.27	0.73	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	0.00	0	0.00	1.00	0.00	**1.00**
	16	**जम्मू और कश्मीर**	0.95	1.53	0.00	0.00	2.48	0.00	**2.48**	0.00	0	0.00	2.48	0.00	**2.48**
	17	**लद्दाख**	0.25	0.07	0.00	0.00	0.31	0.00	**0.31**	0.00	0	0.00	0.31	0.00	**0.31**
	18	**पंजाब**	27.17	106.53	3.31	0.00	133.70	3.31	**137.01**	48.62	41.61	90.23	182.32	44.92	**227.24**
	19	**चंडीगढ़**	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	**राजस्थान**	8.52	8.94	0.60	0.00	17.45	0.60	**18.05**	0.00	0	0.00	17.45	0.60	**18.05**
	21	**उत्तर प्रदेश**	15.68	38.91	0.00	0.00	54.59	0.00	**54.59**	0.00	0	0.00	54.59	0.00	**54.59**
	22	**उत्तराखंड**	0.73	1.25	0.00	0.00	1.98	0.00	**1.98**	1.88	0	1.88	3.86	0.00	**3.86**
कुल उत्तर क्षेत्र			**65.59**	**209.41**	**6.79**	**0.00**	**275.00**	**6.79**	**281.79**	**93.41**	**50.07**	**143.48**	**368.41**	**56.86**	**425.27**
दक्षिण	**23**	**आंध्र प्रदेश**	8.64	2.90	0.00	0.00	11.54	0.00	**11.54**	17.16	0	17.16	28.70	0.00	**28.70**
	24	**अंडमान निकोबार**	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	**तेलंगाना**	6.68	14.09	0.00	0.00	20.77	0.00	**20.77**	7.80	0	7.80	28.57	0.00	**28.57**
	26	**केरल**	5.89	0.09	0.00	0.00	5.98	0.00	**5.98**	1.89	0	1.89	7.87	0.00	**7.87**
	27	**कर्नाटक**	4.60	5.53	0.00	0.00	10.13	0.00	**10.13**	0.00	0	0.00	10.13	0.00	**10.13**
	28	**लक्षद्वीप**	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	**तमिलनाडु**	6.46	6.02	0.00	0.00	12.48	0.00	**12.48**	8.92	0	8.92	21.40	0.00	**21.40**
	30	**पुडुचेरी**	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिण क्षेत्र			**32.87**	**28.63**	**0.00**	**0.00**	**61.50**	**0.00**	**61.50**	**35.93**	**0**	**35.93**	**97.43**	**0.00**	**97.43**
पश्चिम	**31**	**गुजरात**	4.93	4.41	0.00	0.00	9.34	0.00	**9.34**	0.56	0	0.56	9.90	0.00	**9.90**
	32	**दादर नगर**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**

		हवेली													
	33	**महाराष्ट्र**	9.23	8.99	0.00	0.00	18.22	0.00	**18.22**	6.98	0	6.98	25.20	0.00	**25.20**
	34	**गोवा**	0.19	0.06	0.00	0.00	0.25	0.00	**0.25**	0.00	0	0.00	0.25	0.00	**0.25**
	35	**मध्य प्रदेश**	4.18	6.90	0.00	0.00	11.08	0.00	**11.08**	189.16	0.00	189.16	200.24	0.00	**200.24**
	36	**छत्तीसगढ**	6.32	13.30	0.00	0.00	19.61	0.00	**19.61**	15.39	0	15.39	35.00	0.00	**35.00**
कुल पश्चिमी क्षेत्र			**24.85**	**33.65**	**0.00**	**0.00**	**58.50**	**0.00**	**58.50**	**212.09**	**0.00**	**212.09**	**270.59**	**0.00**	**270.59**
कुल योग			**147.10**	**289.44**	**6.79**	**0.00**	**436.54**	**6.79**	**443.33**	**370.40**	**50.07**	**420.47**	**806.94**	**56.86**	**863.80**

*****